न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2011/00149
राजस्व वाद संख्या 172/2011

1. लालचन्द पुत्र मुस्या
2. रामचन्द्र पुत्र देवी लाल
3. लक्ष्मण पुत्र देवी लाल
4. भगोती बेवा देवी लाल
5. बुगली पुत्री देवी लाल
6. आची पुत्री देवी लाल

समस्त जरिये संरक्षिका माता भगोती देवी समस्त जाति मीणा नि. चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — प्रार्थी/प्रतिवादीगण

बनाम

1. जन्शी राम पुत्र देवी सहाय जाति मीणा नि. चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर। — — — अप्रार्थी/वादी
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. शम्भुदयाल मीणा पुत्र बद्रीनारायण मीणा निवासी नढाढा तहसील जमवारामगढ जयपुर जरिये मुख्यारनाम रामचन्द्र शर्मा पुत्र केशव देवी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 4 ब 10 जवाहर नगर जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.11 वाद सं. 141/10

निर्णय दिनांक :—18.12.2020

संक्षेप में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम

चिताणुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी ख0नं0 1268, 1300, 1301, 1303, 2201, 2202, 2250, 2251, 2252 कुल किता 9 रकबा 1.12 है0 की खातेदारी मुस्या पुत्र सुज्या के नाम दर्ज थी जिसमें विवाद ख0नं0 2201, 2202, 2250, 2251, 2252 कुल 5 रकबा 0.74 है0 है जिसकी एक वसीयत दिनांक 30.10.06 को वादी/अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में तस्दीक की गई खातेदारकी मृत्यु दिनांक 07.07.09 को हो जाने के पश्चात् 20.10. 10 को नामान्तकरण सं0 288 तस्दीक कर दिया गया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 9.10.10 को प्रस्तुत कर दी उसके बाद यह दावा दिनांक 20.12.10 की प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज होने पर प्रार्थी/प्रतिवादीगण को दिनांक 23.12.10 को तामील हेतु नोटिस जारी हुए जो नियत दिनांक 29.12.10 तक लौटकर नहीं आने पर पुनः दिनांक 9.2.11 को प्रार्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी होने पर चस्पांगी से तामिल की जाकर दिनांक 25.2.11 को प्रार्थी/प्रतिवादीगण 1 ला. 6 की एक तरफा कार्यवाही अमल में ली जाकर दिनांक 01.07.11 को वादी का वाद डिक्री किया। दिनांक 18.2.11 को तामील कुनिन्दा द्वारा विधिवत व पर्याप्त तामिल बिना करवाये ही दो गवाहान के हस्ताक्षर आपसी मिली भगत से करवाकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये है। जो विधिरूद्ध होने से निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है।

तामील नोटिस पर जो गवाह है वो ही गवाह श्रीमान न्यायालय में उपस्थित होकर वादपत्र में परीक्षण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे है, जिससे यह जाहिर है कि वादी व गवाह आपस में षडयंत्र रचकर तामील गलत ढंग से करवाकर दावा डिक्री करवा लिया है, जिसमें प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव हुआ है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है, जिन्हें न्याय हित में सुनवाई का अवसर दिया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीगण 1 व 4 के अलावा सभी नाबालिग है, जिनकी एक तरफा कार्यवाही विधि विरूद्ध की गई इस कारण पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश दिनांक 25.2.11 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.11 अपास्त की जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई व जवाब साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न्यायहित में दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी नम्बर 1 की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार यादव ने वकालतनामा दिनांक 26.08.2011 को पेश किया तथा दिनांक 19.09.2011 को श्री शम्भूदयाल मीना ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश कर पक्षकार बनाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की दिनांक 17.06.

2013 को बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा श्री शम्भूदयाल मीना को पक्षकार सं0 5 बनाया गया। श्री नरेन्द्र कुमार यादव ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 05.02.2016 को पेश जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया है कि प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दू अस्वीकार है तथा अतिरिक्त कथन में अंकन किया है कि माननीय न्यायायलय हाजा के समक्ष उक्त निर्णय एवं डिक्री बाबत एक वाद मद उनवानी अपील सं0 20/2010 व उनवानी जन्शीराम बनाम लालचन्द व अन्य प्रस्तुत की उक्त अपील भी माननीय हाजा द्वारा दिनांक 08.6.11 हो स्वीकार की गई। उक्त अपील में भी प्रार्थीगण की सम्यक माकूल तामील हुई किन्तु उसमे भी हाजिर अदालत नहीं हुये तथा अपील स्वीकार होकर तहसील आमेर को रिमाण्ड कर दी गई, उधर उक्त निर्णय एवं डिक्री भी वाद पत्र की अदालत सम्यक तामील करवाकर ही पारित की गई थी अन्यथा भी अपील व वाद पत्र में भिन्न–भिन्न गवाहों की चस्पादंगी है जो कि तामील की सत्यता को दर्शाती है इसलिए भी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। उक्त वाद अधीन निर्णय डिक्री दिनांक 01.07.2011 की पालना में नामान्तकरण संख्या 339 दिनांक 01.08.11 को राजस्व भू–अभिलेखों में जन्शीराम अप्रार्थीगण के वाद अमल दरामद हो गयो तथा उक्त भू–अभिलिखित खातेदार द्वारा मिन जवाब देयता द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.08.11 को उक्त आराजी को क्रय कर लिया जिसके आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों मिन उत्तरदाता का वाद जरिये नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 20.8.11 द्वारा दर्ज कर दिया गया तत्पश्चात उक्त आराजीयात को मिन उत्तरदाता द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को निःशुल्क पर्यटन इकाई नीति 2007 के तहत रिसोर्ट प्रयोजन हेतु मैसर्स जयपुर अम्यूजमेंट रिसोर्टस प्रा0लि0 को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी कर दिया गया और भविष्य में रिसोर्ट प्रयोजनार्थ कार्य बाबत उपयोग उपभोग हेतु निर्धारित किये जाने के कारण अब उक्त आराजी कृषि आराजीयात नहीं रह जाने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र क्षैत्राधिकार के अभाव में तथा जब तक उक्त रिसोर्ट प्रयोजनार्थ जारी पट्टा निरस्त नहीं हो जाता है उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण भी काबिले खारिज है। उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष अवैध आधारों पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिसों की तामिल बाबत कोई माकूल रिजन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्ज खर्चे खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक की दिनांक 03.12.2020 को बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर तर्क किया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 21.12.2010 को दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए। पुनः नोटिस जारी किये गये जो चस्पानगी रिपोर्ट से प्राप्त हुए है। नोटिस में एक गवाह प्रोपर गांव का नहीं है। गवाहान के आधार पर तामिल पूर्ण मानी जाकर एक पक्षीय दावा डिक्री किया गया है। जो न्यायिक दृष्टि से प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दावा स्वीकार किया गया है जो निरस्त किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने तर्क किया है कि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद–पत्र में प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 6 के विरूद्ध जारी नोटिसों को नहीं लिये जाने पर दो गवाहान के समक्ष खुले मकान पर चस्पा किये गये। नोटिस पर गवाहान के नाम पता पूर्ण अंकन होने पर तामिल पूर्ण मानी जाकर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। जो विधि सम्मत है। माननीय न्यायालय ने रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा के आधार पर दावा डिक्री किया गया है जो सही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर दिनांक 01.07.2011 को दावा डिक्री के आदेश को यथावत रखा जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने समर्थन में कानूनी नजीरतें पेश की है। नजीर AIR 2016 Page 393, 2011(2) RRT 984, 2011(2) RRT 987 हमने माननीय न्यायालय के नजीरों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं बहस समाहित की जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि न्यायालय हाजा द्वारा संबंधित निर्णित दावें में प्रतिवादीगण को जारी नोटिसों की तामिल व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आदेश 5 नियम 17 व 18 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण द्वारा तामिल का प्रतिग्रहण करने से इंकार करने पर तामिल कुनिन्दा द्वारा विधिवत रूप से दो व्यक्तियों के समक्ष घर पर चस्पानगी की है। जिसकी रिपोर्ट तामिल की प्रति पर अंकित है उक्तानुसार समन की तामिल सम्यक रूप से की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

आदेश आज दिनांक **18.12.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड़ अधिकारी
आमेर जिला जयपुर